रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032020-218626 CG-DL-E-12032020-218626

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138] No. 138] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 5, 2020/फाल्गुन 15, 1941 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 5, 2020/PHALGUNA 15, 1941

iksr ifjogu eæky; %ihMh cHkk×½

√f/kl **i**puk

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2020

सा.का.िन..161(∨).—महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप धारा (1) के साथ पिठत धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के न्यासीमण्डल द्वारा संशोधनों के साथ बनाए गए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट (जहाजों की जब्ती या गिरफ्तारी एवं बिक्री) विनियम, 2019 को अनुमोदित करती है एवं इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में व्यक्त किए गए अनुसार उपर्युक्त अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (2) में यथा अपेक्षित रूप में प्रकाशित करती है ।

2. उक्त विनियम सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

### vud Iph

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के न्यासीमण्डल एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनातें हैं, नामत :—

1 (1) | {{k|r uke o çkj lk इन विनियमों को कोचीन पोर्ट ट्रस्ट (जहाज़ों की जब्ती या गिरफतारी व बिक्री) विनियम, 2019 कहा जा सकेगा।

1286 GI/2020 (1)

- (2) ये विनियम केन्द्र सरकार के अनुमोदन से सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- प्रयोग— ये विनियम उन सभी जहाजों पर लागू होंगे, जिनके संबंध में कोई भी दर या जुर्माना या दोनों महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के तहत देय हैं परन्तु ये विनियम उन जलयानों पर लागू नहीं होंगे जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के हैं अथवा उनकी सेवा में हैं, जहाजों या किसी भी विदेशी राज्य से संबंधित युद्ध पोत के लिए लागू न होंगें।
- 3 परिभाषा:- इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
  - (i) "अधिनियम" यानि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38);
  - (ii) "उप संरक्षक" यानि कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के समुद्री विभाग के प्रभारी अधिकारी और उनके तत्काल उप अधिकारी, हार्बर मास्टर और उप—संरक्षक के प्राधिकार में कार्य करने वाले किसी भी अन्य अधिकारी शामिल हैं:
  - ¼iii "फॉर्म" यानि इन विनियमों में संलग्न फॉर्म;
  - (iv) "पोर्ट" यानि कोचिन पोर्ट;
  - (v) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द व अभिव्यक्ति जो परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, उनके अर्थ वहीं होंगे जो अधिनियम में उनके संबंध में विहित किए गए हैं।
- 4 जहाज़ों की जब्ती या गिरफतारी—(1) जहाँ कोई भी जहाज़ जिसके संबंध में दर या दंड का भुगतान नहीं किया गया है और वह पत्तन पर खड़ा है उसके संबंध में है। वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा डिमांड फॉर्म—I में उक्त व्यतिक्रमी जहाज़ के मास्टर को आवश्यक सभी दरों या जुर्माना राशि का भुगतान करने की मांग की जायेगी, जो उसे मांग जारी होने की तारीख से सात दिनों के भीतर करनी होगी।
- 1/2/ उप—िनयम 1/11/2 के तहत मांग के साथ उन बिलों की प्रति भी संलग्न की जाएगी जिनमें संबंधित पोत के मालिक या एजेंट के खिलाफ लगाई गई दरें या दंड की पूर्ण विवरणी दी जाएगी और जिसका भुगतान अभी भी बोर्ड में लंबित है।
- 1/31/1 उप—िनयम 1/11/1 के तहत की गई मांग, मास्टर को की जाएगी और मास्टर की अनुपलब्धता की स्थिति में जहाज़ के मस्ट पर चिपकाए गए मांग नोटिस को मास्टर पर की गई मांग की कार्रवाई के रूप में समझा जाएगा।
- 44½ यदि व्यतिक्रमी जहाज़ के मास्टर उस पर की गई मांग में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर दरों या जुर्माना या उसके किसी भाग का भुगतान करने से इनकार या उपेक्षा करता है, तो बोर्ड ऐसे पोत को जब्त या गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ सकता है या उसके किसी भी भाग / सामग्री, परिधान तथा फर्नीचर या उसके किसी भाग को तब तक के लिए रोक सकता है, जब तक कि जहाज़ को जब्त अथवा गिरफ्तारी करने की और अवधि के बढ़ जाने पर उस पर उपचय होने वाली राशि सहित पुरी देय राशि को एक साथ जमा नहीं कर दिया जाता।
- 45½ व्यतिक्रमी जहाज़ की जब्ती अथवा गिरफ्तारी के लिए उप संरक्षक 'फॉर्म— II' में गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा, जो स्पष्ट रूप से देय राशि को निर्दिष्ट करेगा और यह दर्शाएगा कि गिरफ्तारी तब तक जारी रहेगी, जब तक कि बोर्ड की संतुष्टि से बोर्ड को देय तथा आगे और उचित दरों व जुर्माने का पूरा भुगतान नहीं हो जाता।
- 46½ जहाज़ के मास्टर को गिरफ्तारी का वारंट भेजा जाएगा और इसकी एक प्रति जहाज़ के मस्ट पर चिपकाई जाएगी और ऐसे मामलों में जहां मास्टर उपलब्ध नहीं है या वारंट की प्राप्ति से बचना चाहता है, जहाज़ के मस्ट पर चिपकाए गए वारंट की प्रति को मास्टर पर वारंट की कार्रवाई के रूप में समझा जाएगा।
- 47½ यदि जहाज़ के मालिक या एजेंट द्वारा जहाज़ की जब्ती या गिरफतारी के बाद पाँच कार्य दिवसों के मध्य बोर्ड की संतुष्टि के लिए दर या जुर्माना राशि या जब्ती व गिरफतार पोत के लागत का भुगतान नहीं किया गया, तो बोर्ड उस जहाज़ तथा उसके संसाधनों की बिक्री कर सकेगा।

- 1/8½ किसी आदेश द्वारा विदेशी जहाज़ की जब्ती या गिरफ्तारी होने के मामले में, फ्लैग देश का दूतावास, पोत परिवहन महानिदेशक एवं पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार को भी सूचित किया जाएगा।
- 5. जब्त या गिरफतार किए गए जहाज़ की बिक्री— (1) उप—संरक्षक या किसी भी सक्षम न्यायालय या न्यासी बोर्ड द्वारा विधिवत नियुक्त किसी भी व्यक्ति के पास, जब्त या गिरफ्तार पोत के आरक्षित बिक्री मूल्य का पता लगाने के लिए अनुमोदित सर्वेयर द्वारा पोत का मूल्यांकन सर्वेक्षण कराने का अधिकार होगा।
  - 1/2½ उप संरक्षक, जहाज़ और पुर्ज़े, परिधान और फर्नीचर को बिक्री पर रखने से पूर्व पोत परिवहन महानिदेशक को सचित करेगा।
  - ¾3½
     बिक्री, माल की बिक्री अधिनियम, 1930 ¾1930 का 3½ के प्रावधानों और निविदा सूचना के अनुरूप बिक्री की शर्तों के अनुसार भी आयोजित की जाएगी।
  - (4) बोर्ड या उपसंरक्षक द्वारा सीलबंद निविदाएं, निविदा की अंतिम तारीख निर्दिष्ट करते हुए हिंदी और एक क्षेत्रीय भाषा सहित कम से कम चार प्रमुख समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञापन करते हुए बोर्ड अथवा उप संरक्षक द्वारा फार्म—III—क में अथवा एडवोकेट किमश्नर द्वारा या किसी समय प्राधिकारी द्वारा विधिवत नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा फार्म— III—ख में अथवा किसी अन्य प्रपत्र में संभावित खरीददारों से आमंत्रित की जाएंगी।
  - 45½ प्रेस में बिक्री नोटिस प्रकाशित होने के बाद संभावित खरीदारों को निर्दिष्ट अवधि, जो कि बोर्ड या उप संरक्षक या सक्षम न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा तय की जाएगी, के दौरान जहाज़ का निरीक्षण करने की अनुमित दी जाएगी।
  - ५६% प्रत्येक निविदा के साथ बोर्ड या उप संरक्षक या उन सभी मामलों में सक्षम न्यायालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा तय की जाने वाली बयाना राशि जोड़ी जाएगी जो बैंक ड्राफ्ट द्वारा देय होगी।
  - ¼७½ नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त निविदाएं सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएंगी।
  - 48% सीलबंद निविदाएं, बोर्ड या उपसंरक्षक अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा निविदा खोलने के लिए निर्धारित किए गए तारीख एवं समय पर निविदाकर्ताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधयों की उपस्थिति में खोली जाएगी और यदि निविदाएँ खोलने के लिए निर्धारित समय पर कोई निविदाकर्ता या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि अनुपस्थित रहता है तो कारण बताए बिना, उस निविदा को बिना खोले अस्वीकार किया जा सकता है।
  - 1991 उप—संरक्षक या सक्षम न्यायालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में सफल निविदाकर्ता को सूचित किया जाएगा।
  - 410½ सफल निविदाकर्ता बिक्री आदेश या निविदा की स्वीकृति की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर बोली राशि का 25% का भुगतान करेगा शेष राशि ऐसी ही तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर जमा करेगा और निविदा मूल्य के अलावा बोर्ड या उप संरक्षक या सक्षम न्यायालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा निर्धारित मूल्य के लिए ऐसी अन्य राशि या बैंक गारंटी, सुरक्षा जमा के रूप में जमा करेगा, जो कार्य के सफल होने के बाद तीन महीने की अवधि के भीतर वापस कर दी जाएंगी।

बशर्ते कि जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

- 11½ निविदा की स्वीकृति की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर बोली राशि के 25% के भुगतान में विलम्ब की स्थिति में, अन्यथा आदेश जारी होने तक बिक्री स्वतः निरस्त कर दी जाएगी और हर्जाना धन जब्त कर लिया जाएगा तथा जहाज़ को उस निविदाकर्ता के दायित्व पर, जिसकी निविदा स्वीकार की गई थी, फिर से बेच दिया जाएगा ।
- 412½ यदि बिक्री के आदेश जारी होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर किसी भी कारण से जहाज़ को बंदरगाह से नहीं हटाया जाता है, तो पत्तन के निर्धारित दरों के अनुसार सामान्य शुल्क से परे अतिरिक्त बर्थ किराया शुल्क लगाया जाएगा।

- 13½ किसी भी परिस्थिति में, खरीदार को बंदरगाह के भीतर या पत्तन की सीमा के भीतर जहाज़ को तोड़ने की अनुमित नहीं दी जाएगी, जब तक इसे ऐसा करने के लिए विशेष अनुमित न दी गई हो।
- 6. जहाज़ के खरीदार की देयताएं ¾1½ निविदा की स्वीकृति की तारीख से सभी दरें या जुर्माने और अन्य शुल्क खरीदार के खाते से वसूल किए जाएंगे।
  - (2½ निविदा की स्वीकृति पर, खरीदार बोर्ड / पत्तन न्यास के पास एक रकम जमा करेगा, जो उप—संरक्षक द्वारा यथा आकलित तीस दिनों की दरों, प्रभारों और शुल्कों के लिए होगी।
  - अश्री सीमा शुल्क, माल एवं सेवा कर अथवा कोई अन्य कर खरीददार के खाते पर लागू किए गए समान होंगे और वह ऐसी ड्यूटी और करों की राशि संबंधित प्राधिकारियों को जमा करनी होगी तथा उसकी रसीदों को पत्तन न्यास द्वारा जलयान को अनापत्ति प्रदान करने से पूर्व भुगतान के लिए प्रस्तुत करना पड़ेगा।
  - श्विध निविदा की स्वीकृति के तुरंत बाद, खरीदार पर्याप्त संख्या में कर्मी दल सहित एक प्रमाणित मास्टर, प्रमाणित अधिकारियों और प्रमाणित इंजीनियरों द्वारा पोत की मैनिंग और रखरखाव के लिए उतनी अवधि के लिए सभी व्यवस्था करेगा जितनी अवधि तक जलयान को बंदरगाह के अंदर रखा जाता है।
- 7. निरसन और बचत— कोचिन पत्तन न्यास (जहाज़ों की जब्ती या गिरफतारी व बिक्री) विनियम, 1988 इस प्रकार से निरसित किए जाते हैं।

बशर्ते कि इस प्रकार निरसित किए गए विनियमों के तहत किए गए किसी भी आदेश या कार्रवाई को इन विनियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत बनाया या लिया गया माना जाएगा।

> [फा. सं. पीडी-25021 / 04 / 2016-सीओपीटी / 318855] रबिंन्द्र अग्रवाल, संयुक्त सचिव

फार्म नं. I
(विनियम ४(1) देखें)
सं दिनांकः दिनांकः
 सेवा में,
मास्टर, एम.वी / एम.टी विषय:— एम.वी / एम.टी मूल्य / जुर्माना—गैर—भुगतान—' तत्काल भुगतान हेतु मांग सूचना' — के संबंध में। संदर्भ:— इस कार्यालय के पत्रांकिददिदि
महोदय,
कृपया इस कार्यालय के उपर्युक्त पत्र का संदर्भ लें जिसमें आपसे, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 / इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों या नियमों के अधीन देय पत्तन देयता / जुर्माना के लिए दिनांकको या पहले रु (रुपये मात्र) के भुगतान हेतु अनुरोध किया गया है।
हालाँकि, अब तक आपने जहाज़ के मास्टर होने के नाते या एजेंटों द्वारा जहाज़ के लिए देय पूर्वोक्त पत्तन देयता / जुर्माना के लिए दिनांककी स्थिति के अनुसाररु.(

.....रुपये मात्र) पत्तन न्यास को देय राशि के भूगतान हेत् कोई कदम नहीं उठाया है।

इसलिए, आपको एतद्द्वारा इस सूचना की प्राप्ति की सात दिनों के मध्य उपरोक्त भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है, अन्यथा इसे तब तक रोक रखने के लिए जब तक कि पत्तन न्यास बोर्ड को देय राशि ऐसी किसी और राशि, जो जहाज़ की जब्ती के दौरान ऐसी किसी अवधि के लिए व्यय की गई हो, के साथ एक साथ जमा किए जाने तक, जहाज़ एवं इसकी सामग्री परिधान या फर्नीचर, अथवा इसके किसी भाग की गिरफ़तारी व जब्ती के लिए करने के लिए एवं जहाज़ को रोक कर रखने के के लिए महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 64 के प्रावधानों को लागू किया जाएगा।

भवदीय

प्रतिः	मेसर्स मेसर्स	वेत्तीय सलाहकार व	मुख्य लेखा अधिकारी कोचिन पत्तन न्यास
	जहाज एम.वी./एम.टी के मालिक मेसर्स जहाज के एजेंट		
सं  सेवा में,	फार्म नं. II (विनियम 4 (5) देखें)		दि
	मास्टर, एम.वी. / एम.टी		
म <del>ट</del> ोट्य	विषयः एम.वी. / एम.टी पत्तन देयताओं के गैर—भु संदर्भः वित्तीय सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी, सीः	•	

2. पत्तन न्यास बोर्ड को उपर्युक्त पत्तन देयता / जुर्माना के गैर—भुगतान के मद्देनजर, मैं महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 64 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश पारित करता हूं कि जलयान एम.वी / एम.टी.......... को एतद्वारा जब्त किया जाता है एवं उसे तब तक हिरासत में रखा जाएगा जब तक कि जब्ती के दौरान किसी भी अवधि के लिए व्यय की गई राशि के साथ पत्तन न्यास बोर्ड को देय राशि का भृगतान नहीं किया जाता।

देयताओं / जुर्माने के लिए .....र(....रु मात्र) की अनुमानित राशि पत्तन को देय है।

कृपया उपरोक्त संदर्भ में उल्लिखित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें आपसे दिनांक......को या

3. कृपया यह भी ध्यान दें कि यदि उक्त राशि और हिरासत की लागत को जब्ती आदेश (यानि) .... की तारीख से पांच कार्य दिवसों के भीतर नहीं जमा किया जाता है, तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 64 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, उपरोक्त पोत को किसी भी सक्षम न्यायालय या उप—संरक्षक, कोचिन पत्तन न्यास द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, के माध्यम से बेचने के लिए मजबूर हो जाउुंगा और जलयान की बिक्री में मिले हुए धन को जलयान की बिक्री लागत समेत बोर्ड को देय प्रभारों के एवज में समायोजित किया जाएगा।

भवदीय,

उप संरक्षक

प्रतिः i) मेसर्स...... जहाज एम.वी. / एम.टी..... के मालिक ii) मेसर्स...... जहाज के एजेंट

Okel ua III -, 1/4 fofu; e 5 1/4 / ns k k k foKki u

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 64 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचिन पत्तन न्यास, कोचिन, जलयान एम.वी. / एम.टी...... की बिक्री के लिए इच्छित खरीदारों से "जैसा है जहां है" आधार पर सीलबंद निविदाएं आमंत्रित करता है।

- जलयान के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं:-2.
  - (i) जलयान का नाम
  - निर्माण वर्ष (ii)
  - (iii) जी.आर.टी
  - एन.आर.टी (iv)
  - (v)लंबाई
  - चौडाई
  - (vi)
  - (vii) गहराई
  - कुलभार (viii)
  - वर्गीकरण (ix)
  - ईंजिन (x)
  - बी.एच.पी (xi)
  - एल.डी.टी (xii)
  - निर्मित वर्ष (xiii)
  - यार्ड (xiv)
- निविदाएँ, कोचिन पत्तन न्यास के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के पक्ष में, 3. कोचिन में देय किसी भी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक द्वारा तैयार किए गए डिमांड ड्राफ्ट द्वारा .. ......र. की बयाना जमा राशि के साथ उप संरक्षक, कोचिन पत्तन न्यास, विल्लिंगडन आईलैण्ड, कोचिन-682 009 के पते पर दिनांक ...... को...... बजे या उससे पहले प्रस्तृत की जानी हैं। निविदा को "एम.वी / एम.टी....... के खरीद हेतू निविदा" लिखे हुए लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए।
- नियत तिथि व समय के उपरांत प्राप्त सभी निविदाओं को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया 4. जाएगा।
- जलयान की खरीद के लिए सीलबंद निविदाएं दिनांक.....को उप-संरक्षक, कोचिन पत्तन 5. न्यास, कोचिन की उपस्थिति में उनके कार्यालय में खोली जाएंगी। प्रस्ताव की स्वीकृति सफल निविदाकर्ता को सूचित की जाएगी।
- सफल निविदाकर्तों निविदा की स्वीकृति तिथि से सात कार्य दिवसों के भीतर बोली राशि के 6. 25% का भुगतान करेगा और शेष राशि का भुगतान बिक्री आदेश की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर करेगा। कोई बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदा की स्वीकृति तिथि से सात कार्य दिवसों के भीतर बोली राशि के 25% के भुगतान होने में चूकने पर जब तक अन्यथा आदेश पारित न हो, बिक्री स्वतः निरस्त हो जाएगी एवं .....रुपये की बयाना जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा तथा स्वीकृत निविदा के निविदाकर्ता की अपनी जिम्मेदारी व लागत पर जलयान पुनः बिक्री की जाएगी। निविदा की स्वीकृति से पंद्रह दिनों के पूर्वोक्त समय के भीतर बिक्री शेष का भूगतान न किए जाने की स्थिति में बिक्री स्वतः ही निरस्त हो जाएगी और

[भाग II–	- खण्ड 3(i)] भारत का   राजपत्र : असाधारण
	रुपये की बयाना जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा। उक्त पुनर्विक्रय प्रक्रिया के चलते किसी कमी या अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पहले से भुगतान की गई 25: राशि को प्रतिधारित किया जायेगा।
7.	'खरीदारों के खाते' पर सीमा शुल्क, माल व सेवा कर या लागू कोई अन्य कर।
8.	निविदाएँ, उप संरक्षक, कोचिन पत्तन न्यास, कोचिन की उपस्थिति में उनके कार्यालय में दिनांककोबजे खोली जाएगीं एवं किसी भी निविदा की स्वीकृति पर उप संरक्षक, कोचिन पत्तन न्यास, कोचिन का सर्वाधिकार होगा।
9.	जहाज़ को बिक्री आदेश के 30 दिन या ऐसे किसी विस्तारित तिथि के भीतर कोचिन पत्तन न्यास परिसर से हटा दिया जाएगा। इसके निकास या निपटान तक खरीदार को अधिप्रमाणित मास्टर, अधिप्रमाणित अधिकारी एवं पर्याप्त संख्या में नाविकों के साथ अधिप्रमाणित अभियंताओं की तैनाती कर जलयान का अनुरक्षण करेगा।
10.	खरीदार को कोचिन पत्तन न्यास (जहाजों की बिक्री एवं जब्ती या गिरफ्तारी) विनियम, 2019 के अनुसार जलयान की बिक्री तिथि से पत्तन से जहाज़ के निकास तिथि तक सभी दरों व जुर्माने (यदि कोई हो) का भुगतान करना होगा।
11.	खरीदार को जलयान को हटाने के लिए अपनी लागत पर महानिदेशक पोत परिवहन/एमएमडी, कोच्ची से सभी वैधानिक आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करनी होंगीं।
12.	किसी भी परिस्थिति में खरीदार को हार्बर या पोर्ट परिसर में जहाज़ को नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उसे ऐसा करने की अनुमति न दी गई हो।
13.	कोचिन पत्तन परिसर में स्थित जलयान का निरीक्षण उप—संरक्षक, कोचिन पत्तन न्यास की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है।
14.	कोचिन पत्तन न्यास के पास बिना कोई कारण दर्शाए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का सर्वाधिकार संरक्षित है।
	उप संरक्षक कोचिन पत्तन न्यास
	Okel ui III —Ch \fofu; e 5 \forall4\forall\forall\forall\forall\forall यदि जलयान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त द्वारा बेचा जाता है)
	वाद जलवान नाननाय ७०० न्यायालय द्वारा नियुक्त आवपका आयुक्त द्वारा बया जाता है
केरल	के माननीय उच्च न्यायालय, एरणाकुलम, केरल, भारत की ओर से नीलामी बिक्री हेतु आमंत्रण
के बका	डब्लूपीसी नं में दि को पारित आदेशानुसार फ्लैग जलयान एम.वी / एम. की बिक्री भारत सरकार के देय, शुल्क व अन्य प्रभारों के साथ नाविकों की मजदूरी ये की वसूली के लिए एम.वी / एम.टी वर्तमान में कोचिन पत्तर्न, केरल स्थित जहाज़ के निपटान हेतु मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।
2.	जहाज़ के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं :— (i) जहाज़ का नाम : (ii) निर्माण वर्ष :

(ii) (iii)

(iv) (v)

(vi)

(vii) (viii)

(ix) (x)

जी.आर.टी

एन.आर.टी एन.आर.टी लम्बाई चौडाई गहराई

कुलभार वर्गीकरण ईजिन

(xii) एल.डी.टी.	
\ / *	
(xiii) निर्मित वर्ष	
(xiv) यार्ड :	
3. प्राक्कलित मूल्य रु. ———————————————————————————————————	
यूएस डालर —————————— १. ईएमडी रु.——————————	
म. इर्नेडा राः यूएस डॉलर ————————————————————————————————————	
5. जलयान को निरीक्षण के लिए खोले जाने का समय : दिनांक ————	को पूर्वाह्न 11 बजे
से अपराह्न 5 बजे तक	
6. निविदा दस्तावेजों की लागत रु. ——————— +	वैट
7. निविदाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि —————————	
<ol> <li>निविदाएँ खोलने की तिथि व समय —————— पूर्वा</li> </ol>	ह्न 11 बजे
<ol> <li>निविदा दस्तावेज माननीय उच्च न्यायालय, केरल के रिजस्ट्रार के प्</li> </ol>	पक्ष में में देय
अप्रतिदेय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा श्री / श्रीमती अधिवक्ता	। आयुक्त से खरीदा जा
सकता है।	
10. नियम व शर्तेः बिक्री केवल 'जहां है, जैसा है' की शर्तों पर ही की संबंधी अधिक विवरण निविदा दस्तावेज में उल्लिखित हैं।	जायेगी। नियम व शर्तों
With one first that warren i often an eq	
श्री / श्रीमती————	
अधिवक्ता आय्	युक्तः
मोबाईल नं.:	
ई—मेल पताः	

# MINISTRY OF SHIPPING (PD DIVISION) NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2020

- **G.S.R. 161(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves with modification the Cochin Port Trust (Distraint or Arrest and Sale of Vessels) Regulations, 2019 made by the Board of Trustees of Cochin Port Trust and published as required under sub-section (2) of section 124 thereof, as set out in the Schedule annexed to this notification.
- 2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

#### **SCHEDULE**

9

In exercise of the powers conferred by section 123 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Cochin Port Trust hereby makes the following regulations, namely:-

- 1. (1) Short title and commencement. These regulations may be called the Cochin Port Trust (Distraint or Arrest and Sale of Vessels) Regulations, 2019.
  - (2) They shall come into force on the date of publication of the approval thereto by the Central Government in the Official Gazette.
- 2. Application. These regulations shall apply to all vessels in respect of which any rates or penalties or both are payable under the Major Port Trusts Act, 1963 or under any regulations or orders made thereunder, but shall not apply to vessels belonging to, or in the service of, the Central Government or a State Government or to any vessel of war belonging to any Foreign State.
- 3. Definitions. In these regulations, unless the context otherwise requires,-
  - (i) "Act" means the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963);
  - (ii) "Deputy Conservator" means the Officer in charge of the Marine Department of the Cochin Port Trust and includes his immediate Deputy, the Harbour Master and any other officer acting under the authority of the Deputy Conservator;
  - (iii) "Form" means the form annexed to these regulations;
  - (iv) "Port" means the Cochin Port;
  - (v) words and expressions used in these regulations but not defined and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
- 4. Distraint or arrest of vessels. (1) Where any vessel in respect of which rate or penalties have not been paid is lying at the Port, a demand in 'Form-I' shall be made by the Financial Advisor and Chief Accounts Officer upon the Master of the defaulting vessel requiring the said Master to pay all the rates or penalties within a period of seven days from the date of issue of the said demand.
  - (2) The demand under sub-rule (1) shall accompany the copy of the bills containing the full particulars of Rates or penalties which were raised against the owner or agent of the concerned vessel and payment of which still remains due to the Board.
  - (3) The demand made under sub-rule (1) shall be served upon the Master and in the event of non-availability of the Master, the affixing of the demand notice on the mast of the vessel shall be deemed as service of the demand upon the Master.
  - (4) If the Master of the defaulting vessel refuses or neglects to pay the rates or penalties or any part thereof within the time limit specified in the demand made upon the Master, the Board may proceed to distraint or arrest such vessel and the

tackle, apparel and furniture belonging thereto, or any part thereof and detain the same until the amount so due to the Board, together with such further amount as may accrue for any period during which the vessels is under distraint or arrest, is paid.

- (5) In order to distraint or arrest the defaulting vessel, the Deputy Conservator shall issue warrant of arrest in 'Form- II' clearly specifying the amount due and indicating that the distraint or arrest shall continue until the amount so due to the Board together with further accrual of rates and penalties and costs are paid towards full satisfaction of the Board.
- (6) The warrant of arrest shall be served upon the Master of the vessel and a copy thereof shall also be affixed on the mast of the vessel and in cases where the Master is not available or avoids service of the warrant, the fixing of the copy of the warrant on the mast of the vessel shall be deemed as service of the warrant upon the Master.
- (7) If the rates or penalties or cost of the distraint or arrest of the vessel or the keeping of the same are not paid by the owner or master or agent of the vessel towards full satisfaction of the Board within a period of five working days next after the distraint or arrest has been made, the Board shall cause the vessel or other things so distrained or arrested to be sold.
- (8) In the case of a foreign vessel placed under distraint or arrest by an order, the Embassy of the Flag Country, Director General of Shipping, and the Ministry of Shipping, Government of India shall also be informed.
- 5. Sale of distrained or arrested vessel. (1) The Deputy Conservator or any person duly appointed by any competent court or the Board of Trustees shall have a valuation survey of the vessel carried out by approved Surveyors to ascertain the reserve sale price of the distrained or arrested vessel.
  - (2) The Deputy Conservator shall inform the Director General of Shipping before putting the vessel and the tackle, apparel and furniture belonging thereto, to sale.
  - (3) The sale shall be held in accordance with the provisions of the Sale of Goods Act, 1930 (3 of 1930) and also in terms of the conditions of sale as per Tender Notice.
  - (4) Sealed tenders shall be invited by the Board or Deputy Conservator in Form-III-A, or by the Advocate Commissioner or any person duly appointed by a competent Court, in Form-III-B or in any other format, from the prospective buyers through press advertisement in at least four leading daily newspapers, including Hindi and one regional language, specifying the last date for the receipt of tenders.
  - (5) The prospective buyers shall be permitted to inspect the vessel after the sale notice is published in the Press, during a specified period which shall be fixed by the Board or the Deputy Conservator or the person appointed by the competent court.

- (6) Each tender shall be accompanied by an Earnest Money Deposit, payable by a Bank Draft, to be fixed by the Board or the Deputy Conservator or the person appointed by the competent court in each case.
- (7) The tenders received after the due date and time shall be summarily rejected.
- (8) The sealed tenders shall be opened in the presence of tenderers or their authorised representatives present on the date and time fixed by the Board or the Deputy Conservator or the person appointed by the competent court for opening the tenders and if any tenderer or his authorized representative is not present at the time fixed for opening the tenders, his tender may be rejected without opening, giving the reasons.
- (9) The acceptance of the offer shall be communicated to the successful tenderer by the Deputy Conservator or the person appointed by the competent court, as the case may be.
- (10) The successful tenderer shall pay 25% of the bid amount within seven working days from the date of sale order or acceptance of the tender and the balance amount within fifteen days from such date and in addition to the tender value, the successful tenderer shall also deposit such other money or Bank Guarantee for a value as determined by the Board or the Deputy Conservator or the person appointed by the competent court as security deposit which shall be returned within a period of three months after successful completion of work:

Provided that no interest shall be paid on the deposit so made.

- (11) In default of payment of 25% of the bid amount within seven working days from the date of acceptance of the tender, the sale shall, unless otherwise ordered, stand automatically revoked, and the earnest money shall be forfeited, and the vessel shall be resold at the risk of the tenderer whose tender was accepted.
- (12) If the vessel is not removed from the harbour for any reason within thirty days, from the date of issue of sale order, additional berth hire charges beyond the normal charges, as laid down in the Port's Scale of Rates, shall be levied.
- (13) Under no circumstances, the buyer shall be permitted to dismantle or break the ship inside the harbour or within the Port limits, unless or otherwise it is specifically permitted to do so.
- 6. Liabilities of the buyer of the vessel. -(1) On and from the date of acceptance of the tender all rates or penalties and other charges shall be on the buyer's account.
  - (2) Upon acceptance of the tender, the buyer shall deposit with the Board/ Port Trust an amount representing thirty days' rates, fees and charges as may be estimated by the Deputy Conservator to be payable for such period
  - (3) Customs duties, Goods and Service Tax or any other tax shall be as applicable on buyer's account and he should remit the amounts on account of such duties and taxes to the concerned authorities and produce the receipts for such payments before the clearance is granted to the vessel by the port trust.

from the Vessel.

- (4) Immediately after the acceptance of the tender, the buyer shall make all arrangements for manning and maintenance of the vessel by a certificated Master, certificated Officers and certificated Engineers with an adequate number of crew during the period the vessel is kept inside the harbour.
- 7. Repeal and Savings. The Cochin Port Trust (Distraint or Arrest and Sale of Vessels) Regulations, 1988 are hereby repealed.

Provided that any order made or action taken under the Regulations so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these regulations.

[F. No. PD-25021/4/2016-CoPT/318855] RABINDRA AGARWAL Jt. Secy.

# FORM NO. I [See regulation 4 (1)]

No	Date:
То	
The Master,	
M.V/M.T	
Sub: - M.V/M.T immediate payment -	Rates/Penalties- Non-payment – 'Demand Notice' for g.
Ref: - This office lett	10dt
Sir,	<del></del>
sum of Rs (I towards the Port dues /pena	the letter cited above wherein you have been requested to pay a sees
Agents, to pay dues to the I	re not taken any steps being the Master of the vessel, or by the Trust as demanded towards aforesaid Port dues/penalties. As

Therefore, 'Notice' is hereby given to you for making the above payment within seven days on receipt of this Notice, failing which provisions of section 64 of the Major Port Trusts Act, 1963 will be invoked to Distraint or Arrest the Vessel and the tackle, apparel and furniture belonging thereto, or any part thereof, and detain the same until the amount so due to the Port Trust Board, together with such further amount as may accrue for any period during which the Vessel is under Distraint or Arrest, is paid.

			Financial Advisor & Chief Accounts Officer Cochin Port Trust
Copy to:		rs of Vessel M.V./M.7	Γ
Copy to:	M/s		Agents of the Vessel. RM NO. II egulation 4 (5)]
No			Date
То			
	Master, V./M.T		
	Sub:	M.V./M.T Arrest- Reg.	Non- payment of Port dues/penalties- Warrant of
	Ref:	Letter No	dtof F.A.&C.A.O CoPT.
Sir,			
being the dues to th amount of dues/pena	Master of the Port Trust of Rs	the 'Vessel' or by the st as demanded. There (Rupees from the sai	Port Trust on or before However, so far e Agents have not taken any steps to pay the said efore you are hereby informed that an approximate
Board, I section 64 hereby distogether v	hereby past of the Mastraint and	s orders in exercise njor Port Trusts Act, 1 will be kept under det	of the powers conferred under the provisions of 963, that the 'Vessel' M.V./M.T is ention until the amount due to the Port Trust Board accrue for any period during which the vessel is
settled wit constraine Competen powers co	thin five we ed to sell to the Court or conferred ur	orking days from the or the above said vessel the Deputy Conservat ader section 64 of the	ove said amount and the cost of the distraint is not late of distraint order (i.e)
			Yours faithfully,
			DEPUTY CONSERVATOR
Copy to:		rs of theVessel M.V./	М.Т

ii) M/s..... Agents of the vessel

## FORM NO. III -A [See regulation 5 (4)]

### **ADVERTISEMENT**

In exercise of the powers conferred under section 64 of the Major Port Trusts Act, 

2.		Brief particulars of the vessel a	re as follows:-
	(i)	Name of the Vessel	:
	(ii)	Year of Built	:
	(iii)	G. R. T	:
	(iv)	N. R. T	:
	(v)	Length	:
	(vi)	Breadth	:
	(vii)	Depth	:
	(viii)	Dead weight	:
	(ix)	Classification	:
	(x)	Engine	:
	(xi)	B. H. P	:
	(xii)	L. D. T.	:
	(xiii)	Year of Built	:
	(xiv)	Yard.	:
an dra pa	Depute Depute Earne of the Depute Dep	nty Conservator, Cochin Port 'est Money Deposit of Rs n any Nationalized/ Schedule	before
4.	A	All tenders received after the d	ue date and time will be summarily rejected.
_	esence	<u> </u>	hase of the vessel shall be opened on in the nin Port Trust, Cochin, in his office. The acceptance of successful tenderer.
6. fro		-	bay 25% of the bid amount within seven working days der and the balance within fifteen days from that date of

sale order. No Bank Guarantee will be accepted. In default of payment of 25% of the bid

amount within seven working days from the date of acceptance of the tender, the sale shall unless otherwise ordered, stand automatically revoked and the Earnest Money Deposit of Rs...... will be forfeited and the Vessel shall be resold at the risk and cost of the tenderer, whose tender was accepted. Should the balance of sale consideration be not paid within the aforesaid time of fifteen days from the acceptance of the tender the sale shall stand automatically revoked and the earnest money of Rs. ...... will be forfeited. The 25% amount already paid shall be retained to meet any shortfall or other expenses arising out of the said resale.

- 7. Customs Duty, Goods and Service Tax or any other tax as applicable on 'BUYERS ACCOUNT'.
- 9. The Vessel should be removed from the premises of the Cochin port Trust, within 30 days or any extended date from the date of sale order. Till its removal the buyer shall man and maintain the Vessel by Certificated Master, Certificated Officers and Certificated Engineers plus an adequate number of crew.
- 10. The Buyer will have to pay all the Rates and Penalties (if any) from the date of sale of the Vessel till the date of actual removal of the Vessel from the harbour in accordance with the Cochin Port Trust (Distraint or Arrest and sale of vessels) Regulations, 2019.
- 11. The buyer shall obtain all statutory required permissions for removal of the Vessel from DG Shipping/MMD, Kochi at his cost.
- 12. Under no circumstances, the Buyer will be permitted to dismantle the Vessel inside the harbour or within Port limits, unless or otherwise it is permitted to do so.
- 13. The Vessel which is lying at Cochin Port premises may be inspected with prior permission of the Deputy Conservator, Cochin Port Trust.
- 14. The Cochin Port Trust reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reason whatsoever.

DEPUTY CONSERVATOR COCHIN PORT TRUST

# FORM NO. III –B [See regulation 5 (4)]

(In case the vessel is sold through the advocate commissioner appointed by Hon'ble High Court)

INVITATION FOR AUCTION SALE ON BEHALF OF THE HON'BLE HIGH COURT OF KERALA, ERNAKULAM, KERALA, INDIA

SALE OF	FLAG VESSEL M.V/M.T_	PURSUANT TO
ORDER DATED	PASSED IN WPC NO	
Sealed tenders are in	nvited for the disposal of the	vessel M.V/M.T
presently lying afloat moored	d at Cochin Port,	Kerala, India for the recovery of
the arrears or back wages of	crew, Government dues and taxe	s and other charges.

2.	ł	Brief particulars of the	e vessel are as follows:-	
	(i)	Name of the Vessel	:	
	(ii)	Year of Built	:	
	(iii)	G. R. T	:	
	(iv)	N. R. T	:	
	(v)	Length	:	
	(vi)	_	:	
	` ′	Depth		
	, ,	) Dead weight	·	
	Ì			
	(ix)	Classification	:	
	(x)	Engine	:	
	(xi)	B. H. P	:	
	(xii)	L. D. T.	:	
	(xiii)	) Year of Built	:	
	(xiv)	Yard.	:	
3.	I	Estimated value	Rs	
			US Dollars	
4.	F	EMD	RsUS Dollars	
5.	V	Vessel opened for insp	pection: Between 11 am to 5 pm on	
6.	(	Cost of tender documents Rs+ VAT		
7.	I	Last date for receiving	the tenders	
8.	I	Date and time for ope	ning the tenders at 11 am.	
	mmis	ssioner by Non refu	s may be purchased from Shri/Smt,Advocate ndable demand draft of Rsdrawn in favour of the t of Kerala payable at	
10. det			: The sale is on as is what is and where is condition only. More nditions are mentioned in the tender document.	
			Shri./SmtAdvocate Commissioner: Mobile Number: E-mail address:	